UPMO010003282010

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट संख्या–04, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी–अंचल लवानियाँ, (उच्चतर न्यायिक सेवा) UP 2411

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–114/2010

उत्तर प्रदेश राज्य ..... अभियोजन पक्ष

बनाम

रईस अहमद पुत्र साबिर हुसैन, निवासी जयन्तीपुर थाना मझोला, मुरादाबाद हाल दुकान डाई की रफातपुरा थाना मुगलपुरा जिला मुरादाबाद।

..... अभियुक्त

मु0अ0सं0–49/2010,
धारा–135 विद्युत अधिनियम,
थाना–मुगलपुरा, जिला मुरादाबाद।

निर्णय

1. विशेष सत्र परीक्षण संख्या–114/2010 में पुलिस थाना मुगलपुरा, जिला मुरादाबाद द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–49/2010 में अभियुक्त रईस के विरूद्व आरोप पत्र अर्न्तगत धारा–135 विद्युत अधिनियम, विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसपर समक्ष न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सुशील कुमार गुप्ता अवर अभियन्ता जी0आई0सी0 विद्युत द्वारा थाना मुगलपुरा, मुरादाबाद में तहरीर इस आशय की दी गयी कि दिनांक 31–01–2010 को वह स्वयं जी0आई0सी0 सब स्टेशन एवं समस्त विद्युतकर्मी जी0आई0सी0 क्षेत्र के साथ चैकिंग के दौरान समय लगभग 13.15 दोपहर श्री सरताज खान (डा0 शाहबुददीन की बंद गली) फैज गंज लम्बी गली के संयोजन संख्या 052/2691/085976 पर पहुंचे तो उन्होंने अपना बिल 3175.00 रसीद संख्या 10/198147 दिनांक 31–01–2010 के अनुसार जमा कर दिया। उन्हीं के परिसर में लगे मैकेनिकल मीटर के नीचे लगे कटआउट से तार काले रंग का लगभग 10 मीटर लगाकर विद्युत की अवैध रूप से चोरी कर नदीम पुत्र नजाकत अली अपने परिसर में दो बल्ब लगाकर विद्युत का अवैध रूप से प्रयोग कर रहे थे। सुविधानुसार 10 मीटर काले रंग की सिंगल डोरी काटकर अपने कब्जे में ली, इसके उपरान्त लगभग 13.55 बजे श्री बाबू पुत्र सिम्मागौर रफतपुरा इमाम साहब हाउस के पास पहुंचे तो पाया कि एन0एस0 टेलर के बराबर में रईस पुत्र साबिर हुसैन (नफीसा सहारा पावर के संयोजन को जाने वाली गली के कोने पर) किसी वैध संयोजन के केबिल में कट लगाकर टेलीफोन की कॉपर की तार की डोरी जोडकर विद्युत का अवैध रूप से प्रयोग कर एक ड्रिल मशीन व एक फेसिंग (ग्राइंडर मशीन) चोरी से बिजली चोरी करता पाया गया। सुविधानुसार टेलीफोन की काली डोरी उतारकर कब्जे में ली। उपरोक्त दोनों का अपराध विद्युत

चोरी अधिनियम 2003 के अन्तर्गत धारा–135 के अन्तर्गत आता है। अतः उपरोक्त के खिलाफ प्रथम सूचन रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. उक्त आशय की तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर प्राथमिकी दिनांक 31–01–2010 को मुकदमा अपराध संख्या–49/2010 अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम अभियुक्त रईस के विरूद्ध दर्ज की गयी, जिसका खुलासा रोजनामचा आम में किया गया।

4. विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा वादी मुकदमा अन्य गवाहान के बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता दर्ज किये गये, घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया। बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्त रईस के विरूद्ध धारा–135 विद्युत अधिनियम के तहत आरोप–पत्र, प्रदर्श क–4, न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दिनांक 28–06–2018 को अभियुक्त रईस के विरूद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम के तहत आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया और अपना विचारण चाहा।

6. उपरोक्त मामले में अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने के लिए मौखिक साक्ष्य में निम्न मौखिक साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं–

क0 सं0	**अभियोजन साक्षी**	**साक्षी सं0**
1.	सुनील कुमार गुप्ता, वादी मुकदमा	पी0डब्ल्यू0–1
2.	महाराज सिंह, (चिक लेखक)	पी0डब्ल्यू0–2
3.	रमेश चन्द्र (विवेचक)	पी0डब्ल्यू0–3

7. अभियोजन की ओर से निम्नलिखित प्रपत्रों को न्यायालय में साबित कराये गये हैं–

क0सं0	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श सं0	**साबित करने वाले साक्षी का नाम**
1.	तहरीर	क–1	सुनील कुमार गुप्ता (वादी मुकदमा)
2.	चैकिंग रिपोर्ट	क–2	सुनील कुमार गुप्ता (वादी मुकदमा)
3.	जी0डी0 कायमी मुकदमा	क–4	महाराज सिंह (चिक लेखक)
4.	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	क–3	महाराज सिंह (चिक लेखक)
5.	नक्शा नजरी घटनास्थल	क–3ए	रमेश चन्द्र (विवेचक)
6.	आरोप पत्र	क–4ए	रमेश चन्द्र (विवेचक)

तत्पश्चात अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त किया गया।

8. अभियोजन का साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को झूठ होना बताया तथा गवाहान द्वारा गलत गवाही देने व रंजिशन झूठा मुकदमा चलने का कथन किया है। अभियुक्त ने प्रतिरीक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने से इन्कार करते हुए यह भी कथन किया है कि लाईनमैन से रंजिश होने के कारण प्रार्थी को झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने कोई विद्युत चोरी नहीं की है वह पूर्णतः निर्दोष है।

9. विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता

की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

10. अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह स्थापित है कि अभियुक्त द्वारा वैध संयोजन के केबिल में कट लगाकर टेलीफोन की कॉपर तार जोडकर अवैध रूप से विद्युत का प्रयोग कर एक ड्रिल मशीन व एक फेसिंग ग्राइंडर मशीन चलाते पाये गये। अभियोजन का तर्क है कि अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये समस्त आरोप साबित हैं।

11. उक्त के विपरीत बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध कतई कोई आरोप साबित नहीं होता है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा किसी प्रकार से कोई विद्युत चोरी नहीं की जा रही थी। विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप स्थापित नहीं माना जा सकता।

12. प्रस्तुत मामले में अब यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

13. पी0डब्लू0–1 के रूप में परीक्षित साक्षी सेवा निवृत्त सुशील कुमार गुप्ता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि दिनांक 31–01–2010 को वह विद्युत उपसंस्थान जी0आई0सी0 मुरादाबाद पर जेई के पद पर तैनात था उस दिन वह तथा उसके साथ अजीम संविदा कर्मी था। उस दिन उन्होंने रईस पुत्र साबिर हुसैन निवासी एम0एस0 टेलर के बराबर में मौहल्ला रफतपुरा थाना मुगलपुरा के यहां चैकिंग की तो इसके यहां कोई वैध संयोजन नहीं मिला। वह किसी अन्य विद्युत संयोजन में कट लगाकर टेलीफोन के कॉपर की तार की जोडी जोड़कर अवैध रूप से एक ड्रिल मशीन एक ग्राइंडर मशीन चोरी से चलाता हुआ पाया। सुविधानुसार कापर की तार 13 मीटर काटकर कब्जे में ली गयी। जिसे उन्होंने अपने संरक्षण में बिजली घर पर रख दिया था। अभियुक्त रईस 1.5 एच0पी0 व 200 वाट की विद्युत चोरी करते पाया गया था। अभियुक्त ने चैकिंग रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में उसने एक तहरीर स्वयं लिखकर थाना हाजा पर दी थी जो कि पत्रावली पर इस समय उसके सामने है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं जिसे वह प्रमाणित करता है जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया तथा विद्युत चैकिंग रिपोर्ट पर प्रदर्श क–2 डाला गया। इस सम्बन्ध में विवेचक ने उसके बयान लिये थे।

14. पी0डब्लू0–2 के रूप में परीक्षित साक्षी महाराजसिंह रिटायर्ड ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि दिनांक 31.01.2010 को वह थाना मुगलपुरा पर कां0क्लर्क के पद पर तैनात था। वादी सुनील कुमार गुप्ता की तहरीर के आधार पर थानाध्यक्ष के मौखिक निर्देशानुसार उसके साथ चिक एफ0आई0आर0 अ0सं0– 49/2010 धारा–135 विद्युत अधि नियम बनाम रईस अहमद के विरूद्ध अंकित की गयी थी, जो पत्रावली पर कागज संख्या–4क/1 संलग्न है, जिसपर उसके हस्ताक्षर है। इसपर प्रदर्श क–3 डाला गया। जिसका खुलासा उसके द्वारा जी0डी0संख्या 50 समय 17.45 बजे किया गया। जी0डी0 कायमी पर प्रदर्श क–4 डाला गया। जिसकी पत्रावली में कार्बन प्रति संलग्न है। दरोगा जी ने उसके बयान लिये थे।

15. पी0डब्लू0–3 के रूप में परीक्षित साक्षी रमेश चन्द्र/विवेचक ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि दिनांक 01–02–2010 को वह थाना–मुगलपुरा में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन उसे अपराध संख्या–49/2010, धारा–135 विद्युत अधिनियम की विवेचना के कागजात नकल चिक, नकल रपट व चैकिंग रिपोर्ट थाना कार्यालय से प्राप्त हुई थी। उसी दिन उसे केस डायरी सं0–1 मय नकल चिक, नकल रपट व चैकिंग रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, उसी दिन उसने नकल रपट, नकल चिक व चैकिंग रिपोर्ट की नकल केस डायरी में की थी तथा कां0 क्लर्क महाराज सिंह, लेखक एफ0आई0आर0 व बयान वादी श्री सुशील कुमार गुप्ता जूनियर इंजीनियर एवं लाईनमैंन अजीम के बयान दर्ज किये थे। सी0डी0 सं0–2 दिनांक 06–02–2010 को गवाह लाईनमैन की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया था और नक्शा नजरी मौके पर तैयार किया था, जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। इसपर प्रदर्श क–3ए डाला गया। आस पास के लोगों को समई साक्ष्य के रूप में याकिर व रफत भाई के बयान दर्ज किये थे। नक्शा मौके पर तैयार किया था, संलग्न केस डायरी किया था। सी0डी0 सं0–3 दिनांक 11–02–2010 को थाना कार्यालय से अभियुक्त रईस का हाजिरी व जमानत का रोबकार प्राप्त हुआ था, जो संलग्न केस डायरी किया गया था। अभियुक्त रईस का बयान दर्ज किया था। पूर्ण साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त रईस के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जो उसके हस्तेख व हस्ताक्षर में है, पत्रावली पर संलग्न है। इसपर प्रदर्श क–4ए डाला गया।

16. विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की विस्तार से बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

17. उपरोक्त के सन्दर्भ में सर्व प्रथम अभियोजन द्वारा पंजीकृत करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट का विश्लेषण किया जाना समीचीन होगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा सुनील कुमार गुप्ता, अवर अभियन्ता, द्वारा पंजीकृत करायी गयी है, जिसके अनुसार दिनांक 31–01–2010 को वह स्वयं जी0आई0सी0 सब स्टेशन एवं समस्त विद्युतकर्मी जी0 आई0 सी0 क्षेत्र के साथ चैकिंग के दौरान समय लगभग 13.15 दोपहर श्री सरताज खान (डा0 शाहबुददीन की बंद गली) फैज गंज लम्बी गली के संयोजन संख्या 052/2691/085976 पर पहुंचे तो उन्होंने अपना बिल 3175.00 रसीद संख्या 10/198147 दिनांक 31–01–2010 के अनुसार जमा कर दिया। उन्हीं के परिसर में लगे मैकेनिकल मीटर के नीचे लगे कटआउट से तार काले रंग का लगभग 10 मीटर लगाकर विद्युत की अवैध रूप से चोरी कर नदीम पुत्र नजाकत अली अपने परिसर में दो बल्ब लगाकर विद्युत का अवैध रूप से प्रयोग कर रहे थे। सुविधानुसार 10 मीटर काले रंग की सिंगल डोरी काटकर अपने कब्जे में ली, इसके उपरान्त लगभग 13.55 बजे श्री बाबू पुत्र सिम्मागौर रफतपुरा इमाम साहब हाउस के पास पहुंचे तो पाया कि एन0एस0 टेलर के बराबर में रईस पुत्र साबिर हुसैन (नफीसा सहारा पावर के संयोजन को जाने वाली गली के कोने पर) किसी वैध संयोजन के केबिल में कट लगाकर टेलीफोन की कॉपर की तार की डोरी जोडकर विद्युत का अवैध रूप से प्रयोग कर एक ड्रिल मशीन व एक फेसिंग (ग्राइंडर मशीन) चोरी से बिजली चोरी करता पाया गया। सुविधानुसार टेलीफोन की काली डोरी उतारकर कब्जे में ली। उपरोक्त दोनों का अपराध विद्युत चोरी अधिनियम 2003 के अन्तर्गत धारा–135 के अन्तर्गत आता है।

18. इस सम्बन्ध में वादी मुकदमा पी0 डब्ल्यू0–1 सुनील कुमार गुप्ता द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि थाना मुगलपुरा बिजली घर के सामने ही 10 कदम की दूरी पर है। आवाज देने पर थाने पर आवाज जा सकती है। थाने के एस0 ओ0 का कमरा थाने पर बाहर की तरफ है। चैकिंग करने दिनांक 31–01–2010 को गये थे। नार्मल चैकिंग करने गये थे। चैकिंग करते की कोई खास वजह नहीं थी। उसके साथ संविदाकर्मी अजीम था। उसने रिपोर्ट अपनी समक्ष से सही लिखाई थी। उसके साथ समस्त विद्युतकर्मी चैकिंग पर गये थे। यह बात सही है। उसके साथ बाल कुमार गुप्ता संविदाकर्मी थे और अन्य के नाम पता नहीं, जो उसने चैकिंग के समय विद्युतकर्मी साथ जाना बताये हैं, उनके नाम गवाह में नहीं लिखे थे, न ही उसने उन्हें जरूरी समझा। जब वह चैकिंग करने जाते हैं, तो वह कोई एंट्री नहीं करते। किसी भी समय चैकिंग करने चले जाते हैं। चैकिंग रिपोर्ट ही एंट्री होती है। चैकिंग करने वह दोपहर एक बजे निकले थे। उसे याद नहीं कि उसने किसके यहॉ सबसे पहले चैकिंग की थी, किस जगह चैकिंग की, उसका भी उसे ध्यान नहीं है। उसने बयान देने से पहले अदालत की पत्रावली का पूर्ण निरीक्षण किया था। उसने जो एफ0 आई0 आर0 लिखाई थी, वह पढ़ी थी। जब वह चैकिंग करने गये थे, तब उसके पास केवल चैकिंग रिपोर्ट थी। उसने अभियुक्त को बिजली चोरी करते समय मौके पर नहीं देखा था, स्टाफ ने बताया था कि यह दुकान अभियुक्त की है। जिस तार से चोरी होना बताया गया था, वह अपने साथ ले गये थे। उसके बाद वह बिजली घर आ गये। तहरीर लिखाने के बाद वह थाने आ गये थे। 15–20 मिनट तहरीर लिखाने में लग गये थे। उसके बाद तहरीर थाने में जमा कर दी थी। उसने अपने बिजली घर के स्टोर में काटे हुये तार को जमा कर दिया था, जो तार वह बिजली चोरी का काटकर लाये है, उसका कोई रजिस्टर मेनटेन नहीं करते। उनके पास स्टोर में पहले से ही काफी तार रहता है। दरोगा जी ने बताया था कि तार न्यायालय में ही प्रस्तुत करना, उनके पास जमा करने की कोई व्यवस्था नहीं है। वह अदालत में वह तार, जिससे बिजली चोरी हो रही थी, नहीं लाया है। यह उसकी जिम्मेदारी है, जिस तार से बिजली चोरी करना बताया था, उस तार को न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस साक्षी द्वारा आगे अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि मौके पर कोई मशीन चल नहीं रही थी। दरोगा जी ने उसके बयान 10–15 दिन बाद लिये थे। दरोगा जी ने उसके साथ अजीम के बयान लिये थे। घटना स्थल का मुआयना कराने वह नहीं गया था, तार की लम्बाई अन्दाजे से लिखाई थी। यह कहना गलत है कि रईस अहमद ने उसकी शिकायत की हो, जिस कारण नाराज होकर उसने चैकिंग की हो।

19. इस प्रकार पी0 डब्ल्यू0–1 वादी मुकदमा के साक्ष्य के अवलोकन से विदित होता है कि उसने अभियुक्त को बिजली चोरी करते समय मौके पर नहीं देखा था। स्टाफ ने बताया था कि यह दुकान अभियुक्त की है। जिस तार से चोरी होना बताया गया था, उसे वह अपने साथ ले गये थे। आगे इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि मौके पर कोई मशीन चल नहीं रही थी। इस साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि स्टाफ ने बताया था कि यह दुकान अभियुक्त की है, किन्तु अभियोजन की ओर से ऐसा कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि कथित बिजली चोरी वाली दुकान अभियुक्त की हो।

20. प्रस्तुत मामले में जहां तक अभियुक्त द्वारा दूसरे उपभोक्ता के वैध संयोजन के

केबिल में कट लगाकर टेलीफोन की तार जोड़कर अवैध रूप से विद्युत का प्रयोग कर एक ड्रिल मशीन व एक फेसिंग ग्राइण्डर मशीन चलाये जाने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में पी0डब्ल्यू0–1 वादी मुकदमा जे0 ई0 सुनील कुमार गुप्ता द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि उसने अभियुक्त को बिजली चोरी करते समय मौके पर नहीं देखा था, स्टाफ ने बताया था कि यह दुकान अभियुक्त की है। जिस तार से चोरी होना बताया गया था, वह अपने साथ ले गये थे। मौके पर कोई मशीन चल नहीं रही थी।

21. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से नक्शा नजरी दाखिल किया गया हैं, जो पत्रावली पर प्रदर्श क–3ए है, जिसमें चिन्ह 'ए' से अबीब अहमद तथा चिन्ह 'बी' से एन0एस0 टेलर की दुकान की दर्शित किया गया तथा उक्त दोनों के मध्य चिन्ह 'एक्स' से रईस पुत्र मौ0 वहीद की दुकान होना दर्शित किया गया है, जबकि अभियुक्त रईस अहमद पुत्र साबिर हुसैन की कोई दुकान नक्शा नजरी में विवेचक द्वारा दर्शित नहीं की गयी है। मौके पर अभियुक्त रईस अहमद पुत्र साबिर हुसैन की दुकान न दर्शाया जाना, अभियोजन कथानक को पूर्ण रूप से सन्देहास्पद बना देता है।

22. पी0 डब्ल्यू0–3 सेवा निवृत्त उप निरीक्षक रमेश चन्द्र द्वारा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि विवेचना उसे दिनांक 01–02–2010 को मिली थी। यह मुकदमा सुशील कुमार गुप्ता जे0ई0 ने लिखाया था। यह कहना सही है कि तहरीर में इबारते अलग कलम से लिखी गयी है व हस्ताक्षर अलग कलम से लिखी हुई है। वह यह नहीं बता सकता कि हस्तलेख सुशील कुमार गुप्ता का ही है या किसी और का। सी0सी0 के बयान उसने दिनांक 01–02–2010 को लिये थे। वादी मुकदमा के बयान भी उसी दिन लिये थे। उसे याद नहीं है कि वादी मुकदमा द्वारा उसे चैकिंग के दौरान अभियुक्त का होना बताया गया था या नहीं। उसे याद नहीं है कि माल मुकदमा के विषय में वादी द्वारा उसे बताया गया था या नहीं। वादी द्वारा माल पुलिन्दा उसे नहीं दिखाया गया था, इस कारण माल के विषय में वह कुछ नहीं बता सकता। वादी द्वारा बताया गया था कि अभियुक्त के घर के आगे से जाने वाली केबिल में कट लगाकर केबिल जोड़कर विद्युत चोरी की जा रही थी। विद्युत चोरी के लिए प्रेसिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा था और भी किया जा रहा होगा अब उसे याद नहीं है। वादी मुकदमा द्वारा उसे बताया गया उस दिन दो घरों में चैकिंग की गयी थी। उसे याद नहीं है कि वादी द्वारा संयोजन होने की जानकारी दी थी या नहीं। चोरी करने वाले केबिल से अभियुक्त के परिसर में जोडने वाले केबिल की दूरी लगभग 12 फिट या 12 मीटर रही होगी, निश्चिता प्रकरण पुराना होने के कारण वह नहीं बता सकता। नक्शा नजरी दिनांक 06–02–2010 को बनाया गया था। प्रकरण पुराना होने के कारण परिसर की चौहद्दी नहीं बता सकता। परिसर दुकानें थी, तीन दुकानें थी, दो किराये पर थी, एक स्वयं की थी। अब उसे याद नहीं है कि किस दुकान में विद्युत चोरी की जा रही थी। यह कहना सही है कि वादी मुकदमा ने चोरी वाला परिसर दुकान था, यह बात न तो उसे बतायी थी और न ही तहरीर व चैंकिग रिपोर्ट में अंकित है, लेकिन उसकी जांच में उक्त परिसर दुकान थी। चोरी वाला परिसर/दुकान रईस की थी, लेकिन उसने किरायेदारी से सम्बन्धित कोई पेपर नहीं लिया था और न ही केस डायरी में अंकित किया था। यह कहना सही है कि वादी द्वारा अभियुक्त से शमन राशि जमा करने के लिए कहा गया था यह नहीं बताया। यह कहना सही है कि पत्रावली पर कोई भी असेसमेन्ट संलग्न नहीं है। यह कहना सही है कि यदि वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त से शमन राशि जमा

करने के लिए कहा गया होता तो वह उसके द्वारा भी अंकित किया जाता है और वादी मुकदमा द्वारा अंकित जाता व इसकी एक प्रति दौराने विवेचना उसको दी जाती। यह कहना सही है कि तहरीर में व चैकिंग रिपोर्ट में वादी द्वारा अंकित नहीं किया गया है कि अभियुक्त चैकिंग के दौरान मौके पर मिला। वह नहीं बता सकता कि उक्त मुकदमा विद्युत विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा अवैध वसूली के कारण झूठा अभियुक्त के विरूद्ध लिखवाया गया है। विवेचना दौरान उसने पड़ोस के रफत भाई व मौ0 यासीर के बयान अंकित किये थे, जिनके अनुसार रईस के यहां विद्युत चैकिंग की गयी, लेकिन जब विद्युत चैकिंग की गयी, तब वह मौजूद नहीं थे। यह कहना सही है कि यासीर व रफत, जो कि अभियुक्त के पडोसी है, के बताये अनुसार व विद्युत विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही को सत्य मानकर विवेचना कर आरोप पत्र अभियुक्त के विरूद्ध प्रेषित किया गया था। उसने दिनांक 11–02–2010 को रईस के बयान दर्ज किये थे। प्रकरण पुराना होने के कारण वह अब रईस को नहीं पहचान सकता। यह कहना सही है कि माल मुकदमा वादी मुकदमा को प्रस्तुत करना चाहिए था, यह दायित्व वादी मुकदमा का होता है और यदि थाने पर दाखिल होता है तो यह दायित्व विवेचक को होता हैं। यह कहना गलत है कि वह मौके पर न गया हो और सारी कार्यवाही थाने पर बैठकर की हो। यह कहना सही है कि तहरीर, चैकिंग रिपोर्ट व समई साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त बनाया है। वादी के बयान उसने बिजली घर पर लिये थे। यह कहना सही है कि उसके द्वारा समई साक्ष्य में लिये गये बयानकर्ता के कोई आई0डी0 बगैरह नहीं लिये गये थे। दोनों समई साक्ष्य बयानकर्ता दुकान पर ही मिले थे, उसने वहीं बयान लिये थे, लेकिन वह इसका कोई प्रमाण अब नहीं दे सकता कि जिससे यह मान लिया जाये कि केस डायरी में अंकित बयान उन्हीं के हैं।

23. इस प्रकार पी0डब्ल्यू0–3 उप निरीक्षक रमेश चन्द्र के साक्ष्य से स्पष्ट है कि वादी द्वारा माल पुलिन्दा उसे नहीं दिखाया गया था। इस कारण वह माल के बारे में कुछ नहीं बता सका। वादी द्वारा बताया गया कि अभियुक्त के घर के आगे से जाने वाली केबिल में कट लगाकर केबिल जोड़कर विद्युत चोरी की जा रही थी। पी0 डब्ल्यू0–3 द्वारा आगे अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि अब उसे याद नहीं कि किस दुकान में चोरी की जा रही थी। चोरी वाला परिसर/दुकान रईस की थी, लेकिन उसने किरायेदारी से सम्बन्धित कोई पेपर नहीं लिया था और न ही केस डायरी में अंकित किया था। तहरीर व चैकिंग रिपोर्ट में वादी द्वारा अंकित नहीं किया गया कि अभियुक्त चैकिंग के दौरान मौके पर मिला।

चैकिंग रिपोर्ट पत्रावली पर प्रदर्श क–2 है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि उक्त चैकिंग रिपोर्ट में अभियुक्त रईस अहमद पुत्र साबिर हुसैन का मौके पर उपस्थित होने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा दूसरे उपभोक्ता के वैध संयोजन के केबिल में कट लगाकर टेलीफोन की तार जोड़कर अवैध रूप से विद्युत का प्रयोग कर एक ड्रिल मशीन व एक फेसिंग ग्राइंडर मशीन चलाया जाना उपरोक्त ऐसे तथ्य हैं, जो अभियोजन कथानक को सन्देहास्पद बना देते हैं।

24. अभियोजन की ओर से पी0डब्ल्यू0–2 के रूप में चिक लेखक कां0 महाराज सिंह को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं जी0डी0 कायमी मुकदमा को साबित किया है। यह एक औचारिक साक्षी है और इसके साक्ष्य से अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं होता हैं।

25. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत

किया गया कि टेलीफोन के तार से बिजली से टेलीफोन के तार का उपयोग करके एक छोटा, कम पावर वाला डी0सी0 पंखा (जैसे यू एस बी फैन) चलाया जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत कम वोल्टेज होता है। हालॉकि, घर के सामान 220 वोल्टेज छत वाले पंखे को इनसे नहीं चलाया जा सकता, जो कि सीलिंग फैन ये 220 वोल्टेज बिजली पर चलते हैं। अतः टेलीफोन के तार डेटा या आवाज संचारित करने के लिये बने होते हैं, न कि बिजली ट्रांसमिशन के लिये।

26. जबकि चैकिंग रिपोर्ट प्रदर्श क–2 में एक फेसिंग मशीन– 1 एच0पी0, 1 ड्रिल मशीन 1/2 एच0पी0 तथा 2 बल्ब 220 वाट के चलाये जाने का उल्लेख किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में टेलीफोन के तार से उपरोक्त उपकरण चलाया जाना सम्भव नहीं है। इनटरनेट पर भी इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करायी गयी है।

27. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचा है कि–

1. माल मुकदमा समक्ष न्यायालय पेश न किया जाना, न ही कोई रजिस्टर अनुरक्षित किया जाना।

2. जनता के किसी जनसाक्षी को परीक्षित न कराया जाना, जबकि मौके पर उनका उपस्थित होना बताया जाना।

3. पी0डब्ल्यू0–1 वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त को चोरी करते हुये न देखा जाना और न ही कोई मशीन चलते हुये पाया जाना।

4. टेलीफोन के तार से बिजली चोरी कर दर्शित किये गये उपकरणों को संचालित किया जाना सम्भव न होना।

5. अभियोजन की ओर से ऐसे किसी भी चक्षुदर्शी को परीक्षित नहीं कराया गया है, जिन्होंने अभियुक्त को उपरोक्त घटना को कारित करते हुये देखा हो। इस प्रकार अभियुक्त को उक्त घटना कारित करते हुये किसी चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा न देखा जाना, एवं अन्य विद्युत संयोजनधारक द्वारा कोई शिकायत न किया जाना आदि ऐसे तथ्य हैं, जो अभियोजन कथानक को पूर्ण रूप से सन्देहास्पद बना देते हैं, जिसका लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

28. दाण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी0 डब्ल्यू0–1 सुनील कुमार गुप्ता एवं पी0 डब्ल्यू0–3 उप निरीक्षक रमेश चन्द्र द्वारा अभियोजन कथानक के सम्बन्ध में परस्पर विरोधाभासी कथन किये गये हैं, जिनके साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। ऐसे में अभियोजन कथानक अनुसार घटना कारित किया जाना साबित नहीं माना जा सकता है। अतः अभियुक्त रईस अहमद को संदेह का लाभ दिया जाना न्यायोचित होगा।

29. इस प्रकार अभियोजन पक्ष प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त रईस अहमद के विरूद्व लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्त रईस अहमद दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

विशेष सत्र परीक्षण संख्या– 114/2010 में अभियुक्त रईस अहमद को आरोप अन्तर्गत धारा– 135 विद्युत अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त रईस अहमद जमानत पर है, उसके जमानतनामें निरस्त कर प्रतिभूगण को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा धारा–437ए दण्ड प्रकिया संहिता के प्रतिभूति अग्रिम छः माह तक प्रवृत्त रहेगें।

<u>दिनांक 25–03–2026</u>

(अंचल लवानियाँ)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–04, मुरादाबाद।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

<u>दिनांक 25–03–2026</u>

(अंचल लवानियाँ)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–04, मुरादाबाद।

Digitally signed by Anchal
Date: 2026.03.25 17:02:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court